न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 31/2001 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र बिहारी लाल, जाति ब्राम्हण,
2. हरीसिह पुत्र श्री बिहारी लाल, (मृतक) जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम रानोठ, तह0 मुण्डावर, जिला अलवर

2/1 राजबाला पत्नि हरीसिह उम्र करीब 54 साल,

2/2 विकास पुत्र हरीसिह उम्र करीब 30 साल,

2/3 विशाल पुत्र हरीसिह उम्र करीब 28 साल,

2/4 खुशबू पुत्री हरीसिह उम्र करीब 31 साल,

2/5 कीर्ति पुत्री हरीसिह उम्र करीब 25 साल,

निवासीयान सी–5 अयोध्या नगर, गांधी पथ–पश्चिम जयपुर

––अपीलान्टान

–:बनाम:–

1. दीपू पुत्र श्री बसन्ताराम,
2. टिन्नी पुत्र श्री बसन्ताराम,

   निवासी मकान नं0 1709 पीली कोठी, एस पी मुखर्जी मार्ग, दिल्ली 6
3. लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री रामदेव निवासी डी 731 सरोजनी नगर नई दिल्ली
4. बनारसी दास पुत्र श्री रामदेव निवासी डी 731 सरोजनी नगर नई दिल्ली
5. बलबीर पुत्र श्री रामदेव निवासी रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर
6. भूपसिह पुत्र श्री रामदेव निवासी न्यू मलशीशर हाउस, स्टेशन रोड,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जयपुर

7. समय सिह पुत्र श्री रामदेव न्यू मलशीशर हाउस, स्टेशन रोड जयपुर

8. कौशल कुमार पुत्र श्री शिवराम, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम 22/2 मनुमार्ग अलवर

9. जगराम पुत्र श्री श्योनारायण, निवासी ग्राम मातौर रोड, खैरथल, जिला अलवर

10. गुलाब चन्द पुत्र श्री श्योनारायण निवासी ग्राम रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

11. सोमदत्त पुत्र श्री श्योनारायण, निवासी मकान नं0 1709 पीली कोठी, एस पी मुखर्जी मार्ग, दिल्ली 6

----रेस्पोडेन्टान

<u>अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर मुण्डावर</u>

<u>दिनांक 26.02.2001</u>

उपस्थित :-	1. वकील अपीलांट	:-	श्री शैलेन्द्र भार्गव
	2. वकील रेस्पो0	:-	सुश्री सुषमा शर्मा

निर्णय **दिनांक–** 18.02.2021

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अल

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद सं0 76/96 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2001 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद बाबत इस्तकरारहक एवं हुकम इम्तनाई दवामी खारिज किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल सं0 284 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा है। इसका साबिक नं0 119 है। वादीगण के पिता ने आराजी खसरा नं0 331/118 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा तथा 333/119 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा अकेले ने खरीदी थी। परन्तु राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध विभाग ने गलत तौर पर उनके भाइयों का नाम भी शामलात में दर्ज कर दिया। अतः वाद डिक्री किया जावे। तहत अदालत ने उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है। जिसकी यह अपील वादी ने प्रस्तुत की है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विवादित भूमि खं0 नं0 331/118 एंव 333/119 हमारे पिता बिहारी लाल ने जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 16.06.1945 को खरीदी है। अकेले ही काबिज है। परन्तु भू– प्रबन्ध विभाग ने गलत तौर पर हमारे पिता के साथ साथ उनके भाइयों का भी नाम दर्ज कर दिया । भू प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। साबिक नम्बर 119 का हाल नम्बर 284 बना है। हमने दस्तावेजी साक्ष्य से हमारे वाद पत्र को साबित कराया है, परन्तु गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील खारिज की जावे।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि शुरू से ही हमारी खातेदारी की रही है। अपीलांट का इससे कोई लेना नहीं है। इन्होने साबिक 331/118 एंव 333/119 खरीदना बताया है। कभी कहते है कि इनका साबिक नं0 119 है। इनके कथन विरोधाभाषी है। इनका वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। पत्रावली में संलग्न बयनामा दिनांक 16.06.1945 के अवलोकन सिद्ध है कि अपीलांट के पिता बिहारी लाल ने साबिक खं0 नं0 331/118 एंव 333/119 खरीदा है। परन्तु इन नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल से यह सिद्ध नही होता है कि इनके नये नम्बर क्या बने है। इन्होंने इन नम्बरों का हाल नं0 284 बनना बताया है परन्तु प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल नं0 284 साबिक नम्बर 119 मिन से बनना पाया जाता है। यह साबिक पं0 119 मिन वादी अपीलांट ने खरीदा नही है। वादी अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वाद सिद्ध नही कर पाये है।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

इसलिये तहत अदालत ने सही तौर पर वाद खारिज किया है। लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2001 यथावत रखे जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :- 31/2001 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. धर्मपाल पुत्र बिहारी लाल, जाति ब्राम्हण,

2. हरीसिह पुत्र श्री बिहारी लाल, (मृतक) जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम रानोठ, तह0 मुण्डावर, जिला अलवर

2/1 राजबाला पत्नि हरीसिह उम्र करीब 54 साल,

2/2 विकास पुत्र हरीसिह उम्र करीब 30 साल,

2/3 विशाल पुत्र हरीसिह उम्र करीब 28 साल,

2/4 खुशबू पुत्री हरीसिह उम्र करीब 31 साल,

2/5 कीर्ति पुत्री हरीसिह उम्र करीब 25 साल,

निवासीयान सी-5 अयोध्या नगर, गांधी पथ-पश्चिम जयपुर

--अपीलान्टान

-:बनाम:-

1. दीपू पुत्र श्री बसन्ताराम,
2. टिन्नी पुत्र श्री बसन्ताराम,

निवासी मकान नं0 1709 पीली कोठी, एस पी मुखर्जी मार्ग, दिल्ली 6

3. लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री रामदेव निवासी डी 731 सरोजनी नगर नई दिल्ली
4. बनारसी दास पुत्र श्री रामदेव निवासी डी 731 सरोजनी नगर नई दिल्ली
5. बलबीर पुत्र श्री रामदेव निवासी रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर
6. भूपसिह पुत्र श्री रामदेव निवासी न्यू मलशीशर हाउस, स्टेशन रोड, जयपुर
7. समय सिह पुत्र श्री रामदेव न्यू मलशीशर हाउस, स्टेशन रोड जयपुर
8. कौशल कुमार पुत्र श्री शिवराम, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम 22/2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मनुमार्ग अलवर

9. जगराम पुत्र श्री श्योनारायण, निवासी ग्राम मातौर रोड, खैरथल, जिला अलवर

10. गुलाब चन्द पुत्र श्री श्योनारायण निवासी ग्राम रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

11. सोमदत्त पुत्र श्री श्योनारायण, निवासी मकान नं0 1709 पीली कोठी, एस पी मुखर्जी मार्ग, दिल्ली 6

----रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर मुण्डावर

दिनांक 26.02.2001

उपस्थित	:-	1. वकील अपीलांट	:-	श्री शैलेन्द्र भार्गव
		2. वकील रेस्पो0	:-	सुश्री सुषमा शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक- 18.02.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2001 यथावत रखे जाते है।

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर